संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छठवी मंजिल,विन्ध्याचल भवन,मध्य प्रदेश भोपाल

फोन –0755–2578491, फेक्स–2768159

ईमेलःdirhort@mp.nic.in

क्र0 / उद्यान / पी.एच.एम. / परि.सत्या. / 2018–19 / 8034 भोपाल, दिनांक 14/8/18

–:00 आदेश 00:–

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना एवं नश्वर उत्पादों की भण्डारण क्षमता (कोल्ड रूम एवं प्याज भण्डार गृह छोडकर) में वृद्धि की विशेष योजना के अंतर्गत परियोजना आधारित प्रस्ताव के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के अनुदान जारी करने हेतु भारत शासन के निर्देशानुसार परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन हेतु निम्नानुसार संयुक्त निरीक्षण दल का गठन किया जाता हैः–

क्रं.	नाम अधिकारी	विवरण
1.	संयुक्त संचालक उद्यान, समस्त संभाग।	समन्वयक
2.	उप / सहायक संचालक उद्यान, समस्त जिला।	सदस्य
3.	जिला प्रशासन का प्रतिनिधि, समस्त जिला।	सदस्य
4.	वित्त पोषित बैंक प्रतिनिधि, समस्त बैंक।	सदस्य

संचालनालय के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त निरीक्षण दल के समन्वयक संभागीय संयुक्त संचालक उद्यान होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

यह समिति उक्त योजनान्तर्गत जिले में स्वीकृत परियोजनाओं का संयुक्त निरीक्षण करेगी।उद्यमी / कृषक स्वीकृत परियोजना के कार्य पूर्ण होने की सूचना संबंधित जिले के उप / सहायक संचालक उद्यान को देगा, जिसमें निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संबंधित जिले के उप / सहायक संचालक उद्यान का दायित्व यह होगा कि जिला प्रशासन एवं वित्त पोषित बैंक के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित करायें।

उद्यमी / कृषक द्वारा कार्य पूर्णता की सूचना दिये जाने (संभागीय संयुक्त संचालक / उप / सहायक संचालक उद्यान को) के 15 दिनों के भीतर भौतिक सत्यापन संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा किया जाना बंधनकारी होगा। यदि विलंब होता है, तब विलंब का कारण संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट (उपस्थित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित) में उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर ही अनुदान की द्वितीय (अंतिम) किश्त के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि का नामांकन जिला कलेक्टर द्वारा तथा वित्त पोषित बैंक के प्रतिनिधि का नामांकन वित्त पोषण करने वाली बैंक के प्रमुख द्वारा किया जावेगा।

रिपोर्ट के साथ निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है :–

1. निर्धारित प्रारूप में संयुक्त निरीक्षण दल की रिपोर्ट (सदस्यों के हस्ताक्षर सहित)।
2. द्वितीय अनुदान का अनुशंसा पत्र (सदस्यों के हस्ताक्षर सहित)।
3. बैंक का ऋण विमुक्ति पत्र जिसमें अनुदान भुगतान हेतु बैंक एकाऊण्ट नम्बर एवं बैंक का IFSC Code उल्लेखित हो।
4. चार्टर्ड एकाऊण्टेन्ट का मदवार खर्च का ब्यौरा सहित प्रमाण पत्र।

5. बी0आई0एस0 नार्मस अनुसार कार्य होने का चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र।
6. कार्य प्रगति के फोटोग्राफ्स।
7. M.P. Infrastructure Mobile APP से सत्यापन Joint Director Horticulture द्वारा किया जाएगा। Mobile APP से Photo Site पर Upload होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
8. प्रथम भण्डारण का प्रमाण पत्र।

संचालनालय स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा लिखित में दिये गये सुझावों की पूर्ति भौतिक सत्यापन के दौरान होना अनिवार्य होगा।

समस्त संभागीय एवं जिला अधिकारियों को कोल्ड स्टोरेज/राइपेनिंग चेम्बर/रिफर वेन के भौतिक सत्यापन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित सदस्यों (न्यूनतम तीन), के हस्ताक्षर उपरांत संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट संचालनालय को 7 दिवस में अनिवार्यतः उपलब्ध करायें।

संयुक्त निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर ही अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

13/8

आयुक्त सह संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
म.प्र.भोपाल

पृ0क्र0/उद्यान/पी.एच.एम./परि.सत्या./2018–19/8035 भोपाल, दिनांक 14/8/18

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला..............................(समस्त) की ओर भेजकर अनुरोध है कि भारत शासन के निर्देशानुसार उपरोक्तानुसार परियोजनाओं के निरीक्षण हेतु अपना प्रतिनिधि नामांकित करने का कष्ट करें।
4. संयुक्त संचालक उद्यान,...................................संभाग (समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परियोजना हेतु संयुक्त निरीक्षण दल के भ्रमण हेतु सदस्यों से दिनांक एवं समय निर्धारित कर कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिवेदन निश्चित अवधि में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
5. उप/सहायक संचालक उद्यान, ...(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जिला प्रशासन एवं वित्त पोषित बैंक के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित कराये।
6. मेसर्स.. जिला–.......................................।
7. शाखा प्रबन्धक, ... जिला ....।
8. ।। शाखा

आयुक्त सह संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
म.प्र.भोपाल